Parliamentary Affairs Department

NOTIFICATION

Jaipur, July 1, 1989

No. F. 7(1) Sansad/89.—In exercise of the powers conferred by section 11 read with sub-section (2) of section 4-A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Rajasthan Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules, namely :—

The Rajasthan Legislative Assembly #Ex-Members (Free Transit by Road Transport Service) Rules, 1989

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly #Ex-Members (Free Transit by Road Transport Service) Rules, 1989.

(2) They shall be deemed to have come into force on 1st day January, 1989.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956;

(b) "Pass" means the "Identity-Cum-Road Journey Pass" issued under rule 3;

(c) *"Ex-Member" means a person who is a recipient of or is entitled to pension under section 4-A of the Act;

(d) "Secretary" means the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly and includes any officer of the said Assembly and specially empowered by the Speaker to perform the functions of the Secretary under these rules;

(e) "Service Bus" includes all kind of buses run by Rajasthan State Road Transport Corporation or buses run on contract basis;

(f) "State Roadways" means the Rajasthan State Road Transport Corporation Service.

Notification F7(1)sansad/89 Jaipur dated Dec. 17, 2009 w.e.f. at once.

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, 1 जुलाई, 1989

संख्या एफ.7(1) संसद/98 :-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम संख्या 6) की धारा 4-क की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (सड़क परिवहन सेवा द्वारा मुफ्त यात्रा) नियम, 1989

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार व आरम्भ :-**(1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा #भूतपूर्व-सदस्य (सड़क परिवहन सेवा द्वारा मुफ्त यात्रा नियम, 1989 है।

(2) ये नियम 1 जनवरी, 1989 से प्रवृत्त हुए समझ जावेंगे।

2. परिभाषाएं :-इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,

(क) ''अधिनियम'' से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 अभिप्रेत है;

(ख) ''पास'' से नियम 3 के अधीन जारी ''पहचान एवं सड़क यात्रा पास'' अभिप्रेत है;

(ग) *''भूतपूर्व सदस्य'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 4-क के अधीन पेंशन प्राप्त करता है या पेंशन का हकदार है;

(घ) ''सचिव'' से सचिव, राजस्थान विधान सभा अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष द्वारा इन नियमों के अधीन सचिव के कृत्यों को करने के लिए विशेषत: सशक्त उक्त सभा का कोई अधिकारी सम्मिलित है।

(ङ) ''सेवा बस'' में राजस्थान राज्य का पथ परिवहन निगम द्वारा चलायी गयी सभी प्रकार की बसें या संविदा के आधार पर चलायी गई बस सम्मिलित है;

(च) ''राज्य परिवहन'' से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सेवा अभिप्रेत है;

अधिसूचना प. 7(1) संसद/89दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 तुरन्त प्रवृत्त

3. *Ex-Member entitled to travel on passes.—Subject to the provisions of these rules, every *Ex-member shall be provided by the Secretary with Two free non-transferable passes in the form given in Appendix-AA which shall entitle him and any other person accompanying him to travel at any time free of charge by the service buses of the State Roadways and on any route on which the State Roadways operate.

4. @Ex-member entitted to travel on passes– Be each year, every ex-members shall be supplied by the secretary Four books containing @ex-member and his attendant's Bus Journey Form's with the foils in Appendix-BB. Each book shall contain 50 serial numbers and until one book is exhausted the ex-member shall not use the another book and at the end of every year the ex-member shall return the books to the Secretary and until the books are returned as aforesaid the Secretary shall not issue new book for the next year.

5. Procedure for journey.—(1) On the commencement of a journey the #Ex-member shall fill in the form and the foils thereof and hand over the form to the conductor of the bus. The conductor shall thereon fill in the amount of fare chargeable for the journey on the foil with the Ex-member. A separate form shall be used for each journey by different buses.

(2) An #Ex-member shall, on demand by the conductor or any other officer of the State Roadways duly authorised in this behalf, produce the pass for inspection.

(3) An #Ex-member wishing to reserve his seat may do so on payment of charges for reservation.

6. Permissible luggage.—#An Ex-member shall be entitled to carry such luggage free of charge as is permissible to a passenger for the class in which the Ex-member travels and *Ex-member shall have to pay for the excess luggage, if any, on the rates fixed in that behalf by the State Roadways.

---

*Notification No. F7 (17) Sansad/1998 Jaipur, dated June 18, 2008. w.e.f. April 1, 2008
#Notification No. F7 (1) Sansad/89 Jaipur, dated Dec 17, 2009 w.e.f. at once
@Notification No. F7 (1) Sansad/2010 Jaipur, dated 9.11.10 w.e.f. 1.4.2010

3. @पास पर यात्रा करने के हकदार *भूतपूर्व सदस्य :-इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक **भूतपूर्व सदस्य को सचिव द्वारा परिशिष्ट-कक में दिये गये प्ररुप में दो मुफ्त अनन्तरणीय पास दिये जायेंगे जिससे वह और उसके साथ का कोई अन्य व्यक्ति राज्य परिवहन की सेवा बसों में किसी भी समय और ऐसे किसी भी मार्ग पर जिस पर राज्य परिवहन बसें चलती हैं, नि:शुल्क यात्रा करने का हकदार होगा।

@4. पास पर यात्रा करने के लिए हकदार @भूतपूर्व सदस्य.– प्रत्येक वर्ष प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य को सचिव द्वारा परिशिष्ट-ख#ख में सपर्ण ''भूतपूर्व सदस्य और उसके परिचर के बस यात्रा प्रपत्र'' से युक्त चार पुस्तकें दी जायेंगी। प्रत्येक पुस्तक में 50 क्रम संख्यांक होंगे और जब तक एक पुस्तक समाप्त न हो जाये, भूतपूर्व सदस्य दूसरी पुस्तक का उपयोग नहीं करेंगे और प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर भूतपूर्व सदस्य पुस्तकें सचिव को लौटा देंगे और जब तक पुस्तक उपरोक्तानुसार लौटाई नहीं जाती है तब तक सचिव अगले वर्ष के लिए नयी पुस्तकें जारी नहीं करेगा।''

5. यात्रा की प्रक्रिया :- (1) यात्रा के प्रारम्भ में #भूतपूर्व सदस्य प्रपत्र तथा उसके पर्णों को भरेगा और बस के कण्डक्टर को प्रपत्र दे देगा। तत्पश्चात् कण्डक्टर यात्रा के लिए वसूली योग्य किराये की राशि #भूतपूर्व सदस्य के पास रहने वाले पर्ण में भरेगा। प्रत्येक पृथक् यात्रा के लिए पृथक् प्रपत्र का प्रयोग किया जायेगा और बस बदलने की दशा में भिन्न-भिन्न बसों से की जाने वाली प्रत्येक यात्रा के लिए पृथक् प्रपत्र का प्रयोग किया जायेगा।

(2) #भूतपूर्व सदस्य, जब कण्डक्टर या राज्य परिवहन का इस सम्बन्ध में यथोचित रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी मांगे तब अपना पास निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।

(3) जो #भूतपूर्व सदस्य अपनी सीट आरक्षित कराने का इच्छुक हो, सीट आरक्षण हेतु शुल्क का भुगतान करने पर ऐसा करा सकेगा।

6. अनुमत सामान :- भूतपूर्व सदस्य अपने साथ उतना सामान नि:शुल्क ले जा सकेगा जितना उस दर्जे के लिए जिसमें उक्त सदस्य यात्रा करता है किसी यात्री को नि:शुल्क ले जाने की अनुमति है, तथा अधिक सामान, यदि कोई हो के लिए #भूतपूर्व सदस्य को इस सम्बन्ध में राज्य परिवहन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान करना पड़ेगा।

---

* अधिसूचना एफ.7(17) संसद/1998 दिनांक 18 जून, 2008 दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी।

\# अधिसूचना एफ.7(1) संसद/89 दिनाक 17 दिसम्बर, 2009 तुरन्त प्रवृत।

@ अधिसूचना एफ.7(1) संसद/2010 दिनाक 9-11-2010 w.e.f. 1.4.2010.

7. Period of validity of the pass.—The pass granted under these rules shall be valid only during the period the holder continues [to be an [1]Ex-member] under the provisions of section 4-A of the Act and the holder shall return the pass to the Secretary as soon as he ceases to be an [1]Ex-member.

8. Report of loss of pass, etc.—When an [1]Ex-member loses his Pass/Free Journey Form Book, he shall immediately report the fact of such loss to the Secretary and the General Manager, Rajasthan State Roadways. On receipt of such report, a fresh Pass/Free Journey Form Book, as the case may be, may be issued by the Secretary to the [1]Ex- member on his paying rupee one in the case of the pass and rupees two in the case of each Free Journey Form Book. If the pass/free journey form book is subsequently found, it shall be surrendered to the Secretary.

9. Provision for payment of amount due on account of the journey.—The Secretary shall arrange to make the payment from the budget of the Legislative Assembly the amount due on account of the journey undertaken by the [1]Ex-member, as determined on the basis of the [1]Ex-member's Bus Journey Forms (duplicate foils) sent by the State Roadways for payment.

***10. deleted

[No. F. 7(1) Sansad/89]

By Order of the Governor

P. A. Sinha

Secretary to the Government

---

1. F7(1) Sansad/89 dated 17.12.2009
2. F7(18) Sansad/98 dated 18.2.2010 with effect from 23.9.2008

***3. F7(1) Sansad/2010 JPR dated 9.11.10 deleted w.e.f. 1.4.2010

7. पास के विधिमान्य रहने की अवधि :-इन नियमों के अधीन जारी किया गया पास केवल उस अवधि के दौरान मान्य रहेगा जिसमें उसका धारणकर्त्ता, अधिनियम की धारा 4-क के उपबन्धों के अधीन [1]भूतपूर्व सदस्य बना रहता है और ज्योंही धारणकर्ता की [1]भूतपूर्व सदस्यता समाप्त हो वैसे ही वह पास सचिव को लौटा देगा।

8. पास आदि के खोने की रिपोर्ट :-जब किसी [1]भूतपूर्व सदस्य का पास या नि:शुल्क यात्रा प्रपत्र पुस्तक खो जाये तब वह इस तथ्य की रिपोर्ट, तुरन्त सचिव, राजस्थान राज्य परिवहन के महाप्रबन्धक को करेगा। उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर सचिव पास के लिए एक रुपये प्रति पास तथा नि:शुल्क यात्रा प्रपत्र पुस्तक के दो रुपये प्रति पुस्तक का भुगतान भूतपूर्व सदस्य द्वारा किये जाने पर उस (भूतपूर्व सदस्य) के नाम नया पास/नयी नि:शुल्क यात्रा प्रपत्र पुस्तक जैसी भी स्थिति हो, जारी करेगा। यदि पास/नि:शुल्क यात्रा प्रपत्र पुस्तक तदुपरांत मिल जाये तो वह सचिव को सौंप दी जायेगी।

9. यात्रा के लिये देय राशि का भुगतान के लिए उपबन्ध :- [1]भूतपूर्व सदस्य द्वारा की गयी यात्रा के लिये देय राशि का, जिसका निर्धारण राज्य परिवहन विभाग द्वारा भुगतान हेतु भेजे गये [1]भूतपूर्व सदस्य बस यात्रा प्रपत्रों (द्वितीय पर्ण) के आधार पर किया जायेगा। भुगतान विधान सभा के बजट में से किये जाने की व्यवस्था सचिव द्वारा की जायेगी।

***10. विलोपित

[सं. एफ. 7 (1) संसद/98]
राज्यपाल के आदेश से,
पी. ए. सिन्हा
शासन सचिव।

---

1. प. 7(1) संसद/89 दिनांक 11-12-2009 (तुरन्त प्रवृत्त होंगे)
2. प.7(18) संसद/98 दिनांक 18-2-2010 द्वारा संशोधन दिनांक 23-9-2008 से प्रभावी
***3. प.7(1) संसद/2010 जयपुर दिनांक 9.11.10 द्वारा हटाया गया w.e.f. 1.4.2010

Appendix 'AA'

(See Rule 3)

Identity-cum-Road-Journey Pass

Rajasthan State Roadways

(Rajasthan Legislative Asembly #Ex-Members Identity-cum Road Journey Pass)

Not Transferable

Name..Age..............................

(#Ex-Member)

Address..

Available for free travel on Rajasthan State Roadways

Service Buses to the #Ex-Member and a person

accompanying him

Signature...................................

Address..

Photograph

(#Ex-Member)

Secretary,

Rajasthan Legislative Assembly.

Date :

1. The #Ex-Member to whom this pass is issued is responsible for its safe custody.

F7(1) Sansad/89 JPR dated 17.12.2009 wef at once

परिशिष्ट-'कक'

(नियम 3 देखिए)

पहचान एवं सड़क यात्रा पास

राजस्थान राज्य परिवहन

(राजस्थान विधान सभा #भूतपूर्व सदस्य पहचान एवं सड़क यात्रा पास)

अनन्तरणीय

नाम..आयु...........................

(#भूतपूर्व सदस्य)

पता...

#भूतपूर्व सदस्य और उसके साथ के किसी व्यक्ति को राजस्थान
राज्य पथ परिवहन सेवा बसों में मुफ्त यात्रा के लिए उपलब्ध

हस्ताक्षर....................................

(पेंशनर सदस्य)

पता...

तारीख.................................

फोटो
#भूतपूर्व सदस्य

सचिव,
राजस्थान विधान सभा

---

1. जिस भूतपूर्व सदस्य को यह पास जारी किया जाता है वह इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी है।

एफ 7 (1) संसद/89 जयपुर दिनांक 17.12.2009 wef तुरन्त

2. In case of loss, matter shall immediately be reported to the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly and the General Manager, Rajasthan State Roadways.

3. This pass shall be surrendered in the event of cessation of pension under section 4-A of the Act.

4. A journey form containing details of journey performed under this pass shall be filled in and handed over to the Bus Conductor before a journey begins.

5. This pass is issued subject to the provisions of section 4-A of Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 and rules made under section 4-A of the said Act and can be used subject to availability of accommodation in the bus by which the journey is intended to be undertaken.

6. This pass shall be treated as a ticket for travel, subject to the same rules and conditions as govern a ticket in so far as they are not repugnant to the rules made under section 4-A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.

2. खो जाने की स्थिति में मामले की रिपोर्ट तत्काल सचिव, राजस्थान विधान सभा और महाप्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन को की जायेगी

3. अधिनियम की धारा 4-क के अधीन पेंशन के समाप्त हो जाने पर इस पास को अभ्यर्पित कर दिया जायेगा।

4. यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व इस पास के अधीन की जाने वाली यात्रा के ब्यौरे यात्रा प्ररूप में भरकर बस के कण्डक्टर के सुपुर्द किये जायेंगे।

5. यह पास राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 की धारा 4-क के उपबन्धों और उक्त अधिनियम की धारा 4-क के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन जारी किया जाता है और इससे की जाने वाली आशयित यात्रा के लिए बस में स्थान की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए काम में लिया जा सकता है।

6. उन्हीं नियमों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जिनसे यात्रा टिकट विनियमित होते हैं, जहां तक ये राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 की धारा-क के अधीन बनाये गये नियमों के विरुद्ध नहीं हैं, इस पास को यात्रा टिकट समझा जायेगा।

Appendix 'BB'

(See Rule 4)

*(Ex-Member's and his Attendent's Bus Journey Form)

Rajasthan State Roadways
*(Ex-Member's and his
attendent's Bus Journey Form)
Book No.......................................
Serial No......................................

(Foil)

(To be filled in and retained by the *Ex-Member)
Date and the time of
the journey.....................................
No. of Bus....................................
Type of Bus
(Ordinary or Deluxe)
....

Rajasthan State Roadways
*(Ex-Member's and his
attendent's Bus Journey Form)
Book No.......................................
Serial No......................................

(Foil)

(To be filled in and retained by the Bus conductor)
Date and the time of
the journey.....................................
No. of Bus....................................
Type of Bus
(Ordinary or Deluxe)
....

Rajasthan State Roadways
*(Ex-Member's and his
attendent's Bus Journey Form)
Book No.......................................
Serial No......................................

(Foil)

(To be filled in and retained by the bus conductor)
Date and the time of
the journey.....................................
No. of Bus....................................
Type of Bus
(Ordinary or Deluxe)
....

---

* F7(1) Sansad/89 JPR dated 17.12.2009 w.e.f. at once

परिशिष्ट 'खख'

(नियम 4 देखिये)

(*भूतपूर्व सदस्य का और उसके परिचायक का पेंशनर सदस्य बस यात्रा प्रपत्र)

राजस्थान राज्य परिवहन	राजस्थान राज्य परिवहन	राजस्थान राज्य परिवहन
(*भूतपूर्व सदस्य का और उसके परिचायक का बस यात्रा प्रपत्र)	(*भूतपूर्व सदस्य का और उसके परिचायक का बस यात्रा प्रपत्र)	(*भूतपूर्व सदस्य का और उसके परिचायक का बस यात्रा प्रपत्र)
पुस्तक सं....................................	पुस्तक सं....................................	पुस्तक सं....................................
क्रम सं.......................................	क्रम सं.......................................	क्रम सं.......................................
(पर्ण)	(द्वितीय पर्ण)	(तृतीय पर्ण)
(*भूतपूर्व सदस्य भर कर अपने पास रखेगा)	(*भूतपूर्व सदस्य भर कर अपने पास रखेगा)	(*भूतपूर्व सदस्य भर कर अपने पास रखेगा)
यात्रा का समय और तारीख...............	यात्रा का समय और तारीख...............	यात्रा का समय और तारीख...............
बस सं..	बस सं..	बस सं..
बस का प्रकार	बस का प्रकार	बस का प्रकार
(साधारण या डीलक्स)	(साधारण या डीलक्स)	(साधारण या डीलक्स)

---

* एफ7(1) संसद/89 जयपुर दिनांक 17-12-2009 द्वारा प्रतिस्थापित w.e.f. तुरन्त

I am travelling

from..............to...........................

with one attendent and my journey pass number is.....................................

Signature.....................................

*Ex-Member

Rajasthan Legislative Assembly

Date...

(Address......................................)

(To be filled in by the Conductor)

Date ....

From......................to...................

Stages..................Fare..................

Bus No..

Date...

Conductor's Badge No. and

Signature.............................

I am travelling

from..............to...........................

with one attendent and my journey pass number is.....................................

Signature.....................................

*Ex-Member

Rajasthan Legislative Assembly

Date...

(Address......................................)

(To be filled in by the Conductor)

Date ....

From......................to...................

Stages..................Fare..................

Bus No..

Date...

Conductor's Badge No. and

Signature.............................

I am travelling

from..............to...........................

with one attendent and my journey pass number is.....................................

Signature.....................................

*Ex-Member

Rajasthan Legislative Assembly

Date...

(Address......................................)

(To be filled in by the Conductor)

Date ....

From......................to...................

Stages..................Fare..................

Bus No..

Date...

Conductor's Badge No. and

Signature.............................

---

* F7(1) Sansad/89 JPR dated 17.12.2009 w.e.f. at once

मैं एक परिचायक के साथ

मैं……………….से……………………

तक यात्रा कर रहा हूं और मेरे यात्रा

पास सं……………………………..है।

*भूतपूर्व सदस्य

दिनांक…………………………………

डिवीजन संख्या………………………

(कण्डक्टर द्वारा पूर्ति की जायेगी)

दिनांक…………………………………

…………………...से……………..तक

प्रक्रम……...यात्रा किराया……………

बस संख्या……………………………

दिनांक…………………………………

कण्डक्टर के बैज संख्या………………

हस्ताक्षर……………………………

मैं एक परिचायक के साथ

मैं……………….से……………………

तक यात्रा कर रहा हूं और मेरे यात्रा

पास सं……………………………..है।

*भूतपूर्व सदस्य

दिनांक…………………………………

डिवीजन संख्या………………………

(कण्डक्टर द्वारा पूर्ति की जायेगी)

दिनांक…………………………………

…………………...से……………..तक

प्रक्रम……...यात्रा किराया……………

बस संख्या……………………………

दिनांक…………………………………

कण्डक्टर के बैज संख्या………………

हस्ताक्षर……………………………

मैं एक परिचायक के साथ

मैं……………….से……………………

तक यात्रा कर रहा हूं और मेरे यात्रा

पास सं……………………………..है।

*भूतपूर्व सदस्य

दिनांक…………………………………

डिवीजन संख्या………………………

(कण्डक्टर द्वारा पूर्ति की जायेगी)

दिनांक…………………………………

…………………...से……………..तक

प्रक्रम……...यात्रा किराया……………

बस संख्या……………………………

दिनांक…………………………………

कण्डक्टर के बैज संख्या………………

हस्ताक्षर……………………………

---

* एफ7(1)संसद/89 जयपुर दिनांक 17-12-2009 wef तुरन्त